दिनांक 27.06.2018

मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट यू0जी0 2018 प्रथम चरण की काउंसिलिंग हेतु अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शिका

1. रजिस्ट्रेशन के उपरान्त पूर्व प्रदर्शित काउंसिलिंग कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को पोर्टल पर विनिर्दिष्ट समय सीमा में अपना विकल्प (च्वाईस फिलिंग) दर्ज कराना होगा।

2. प्रथम चरण की काउंसिलिंग में केवल मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी ही आवंटन हेतु च्वाईस फिलिंग एवं च्वाईस लॉकिंग कर सकेगें।

3. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपना विकल्प दर्ज करने से पूर्व अपने विकल्पों (च्वाईस) के महाविद्यालयो का क्रम पूर्व से ही लिखकर रख लें जिससे उन्हें पोर्टल पर च्वाईस फिलिंग करते समय दुविधा का सामना न करना पड़े।

4. अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वह अच्छी तरह से सोच समझकर एवं विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों की प्रदर्शित शुल्क को ध्यान में रखकर ही आवंटन हेतु महाविद्यालयों का चयन करें एवं महाविघालयों के चयन को क्रम दें। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के नियम 10 उप नियम (6) के अनुसार आवंटन आदेश के अनुक्रम में पात्रताधारी होते हुये भी प्रवेश न लेने की दशा में पोर्टल से उसका पंजीयन स्वमेव निरस्त हो जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी आगामी किसी भी चरण की काउंसिलिंग के लिए पात्र नहीं होंगे। अतः अभ्यर्थी च्वाईस फिलिंग के समय ऐसी च्वाईस न भरे जिस पर आवंटन हो जाने की स्थिति में प्रवेश लेने के लिए असमर्थ हों।

5. अभ्यर्थी को च्वाईस फिलिंग के उपरान्त च्वाईसेस को लॉक करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि च्वाईस लॉकिंग करने से पूर्व अच्छी तरह भरी हुई च्वाईस का अवलोकन कर लें ।

6. आवंटन परिणाम जारी होने के पश्चात अभ्यर्थी अपने लॉगिंन आई0डी0 से आवंटन पत्र डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले सकेगा।

7. आवंटित अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु घोषित समय सीमा (काउंसिलिंग समय सारणी) में प्रवेश हेतु आवंटित संस्था में स्वयं उपस्थित होकर सर्वप्रथम शासकीय नोडल अधिकारी की डेस्क पर रिपोर्ट कर अपनी उपस्थिति ऑनलाईन दर्ज करायें। तत्पश्चात आवंटित संस्था की नियुक्त की गई प्रवेश समिति से अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन करवायें। मूल दस्तावेजों की सूची मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के साथ संलग्न अनुसूची–3 के अनुसार है। अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल दस्तावेज प्रवेश समिति को जमा कराना होगा।

8. पात्र घोषित किये गये अभ्यर्थियों को संस्था का प्रवेश शुल्क (शासन की घोषित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों के शुल्क का समायोजन किया जायेगा) ऑनलाईन जमा करना होगा जो कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आर0टी0जी0एस0 द्वारा किया जा सकेगा। अभ्यर्थी भुगतान हेतु एक से अधिक विकल्पों का चुनाव कर सकता है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके खातें में इन्टरनेट

बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो एवं खाते से किये जाने वाले लेनदेन (ट्रांजेक्शन) राशि की सीमा बढा लें।

9. शुल्क भुगतान के उपरान्त अभ्यर्थी को ऑनलाईन प्रवेश स्लिप प्राप्त करने से पूर्व यह विकल्प ऑनलाईन देना अनिवार्य होगा कि वह द्वितीय चरण की काउंसिलिंग हेतु बेहतर विकल्प (अपग्रेडेशन) का ऑप्शन देना चाहता है अथवा नहीं (Opt for upgradation- YES/NO)। तदोपरान्त प्रवेश समिति द्वारा अभ्यर्थी की प्रवेश स्लिप एमपी ऑनलाईन पोर्टल से जनरेट की जायेगी।

10. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने द्वितीय चरण हेतु अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया है को ग्रामीण सेवा बंध पत्र एवं सीट लिविंग बॉण्ड प्रथम चरण में नहीं देना है। परन्तु उन्हें इस आशय का रू. 500/– का नोटराईज्ड शपथपत्र, संस्था प्रमुख के नाम से संपादित करना होगा कि द्वितीय चरण में अपग्रेड न होने की स्थिति में प्रारूप के अनुसार ग्रामीण सेवा बंध पत्र एवं सीट लिविंग बॉण्ड सम्यक रूप से स्टाम्पित नोटराईज्ड शपथ पत्र जमा करेगा।

27-06-18

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश